

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर निवेश बढ़ाने पर है पूरा फोकस : शिखर अग्रवाल

रीको चेयरमैन ने रेजिडेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में अधिकारियों को संबोधित किया

जयपुर (कासं)। रीको की ओर से आयोजित दो दिवसीय रेजिडेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का शुक्रवार को समापन हुआ। वर्कशॉप रीको के इकाई कार्यालयों एवं उप-इकाई कार्यालयों के प्रभारियों के लिए आयोजित की गई, जिसमें प्रदेशभर से 80 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। वर्कशॉप में अधिकारियों को अपने-अपने औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, उद्यमी-अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि रीको की कार्यप्रणाली में निरंतर नवाचार आवश्यक है।

औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को नीतियों का त्वरित लाभ मिले, अधिकारियों का व्यवहार सहयोगात्मक हो तथा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, यही रीको की पहचान बननी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में वेस्ट एंड एप्लूमेंट मैनेजमेंट का समुचित निस्तारण, सीईटीपी की प्रभावी मॉनिटरिंग, बिजुल एवं जल आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों को तेजी से पूरा करने पर भी बल दिया।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने



रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल

अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी वर्कशॉप्स का मुख्य उद्देश्य नॉलेज शेयरिंग होता है। अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए नवाचारों, चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा से सभी को सीखने का अवसर मिलता है।

उन्होंने कहा कि रीको के अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार से ही रीको की छवि बनती है। इस हेतु अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए।

वर्कशॉप के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें रीको डिस्पोजल ऑफ

- कार्यशाला में रीको अधिकारियों को मिला औद्योगिक विकास के नए आयामों का प्रशिक्षण**
- 50 हेक्टेयर तक के औद्योगिक क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क तथा इससे अधिक हेक्टेयर वाले क्षेत्र रीको इकोनोमिक एवं इनवेस्टमेंट जोन कहा जायेगा : शिवांगी स्वर्णकार**

लैंड रूल्स 1979 में किए गए संशोधनों, ऑनलाइन मॉड्युल्स, सिविल एवं पावर वर्क्स में गुणवत्ता नियंत्रण एवं राजस्व एवं नगरीय निकायों से संबंधित भूमि आवंटन प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को फील्ड विजिट भी कराई गई, जिससे व्यावहारिक अनुभव मिल सके।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने यह भी बताया कि रीको द्वारा विकसित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम में एकरूपता व स्पष्टता लाने एवं स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर तक है, उन्हें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क कहा जाएगा तथा जिन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक है, उन्हें रीको इकोनोमिक एवं इनवेस्टमेंट जोन कहा जाएगा।

गणतंत्र दिवस पर आईपीएस संदीप सिंह चौहान महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से होंगे सम्मानित

जयपुर । आगामी 77 वें गणतंत्र दिवस के गौरवमयी अवसर पर राजस्थान पुलिस और गृह रक्षा विभाग के एक जांबाज अधिकारी की

सेवाओं को विशेष पहचान मिलने जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक गृह रक्षा संदीप सिंह चौहान आईपीएस को उनके उत्कृष्ट

सेवा रिकॉर्ड और विभाग के प्रति अद्वितीय समर्पण के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। संदीप सिंह चौहान को यह सम्मान उनके पदस्थापन के दौरान महानिदेशक एवं महासमादेश गृह रक्षा राजस्थान मालिनी अग्रवाल द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। आईपीएस संदीप सिंह चौहान को महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं महानिदेशक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की जाएगी।

हैंड कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। बिंदायका थाना पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा को परेशान करने के आरोप में हैड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड था और नाबालिग को क्रिकेट में आगे बढ़ाने और अच्छी प्रेक्टिस करवाने की मदद के बहाने आए दिन परेशान कर रहा था। आरोप है कि कांस्टेबल फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव भी बना रहा था।

बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी को अग्रिम जांच की अनुमति मिली

अदालत ने मामले में पेश तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के पेशा प्रार्थना पत्र को विद्धो करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किया

जयपुर (कासं)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी को अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने मामले में पेश तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के पेशा प्रार्थना पत्र को विद्धो करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेशा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि साल 2021 में कोर्ट उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर

चुकी है। ऐसे इसे वापस लेने की जरूरत ही नहीं है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय एसीबी ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी थी। वहीं पूर्व आईएसएस जीएस संघू सहित अन्य अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के लिए अदालत ने प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं अब विस्तृत जांच के निर्णय के बाद एसीबी ने ट्रायल

कोर्ट से अनुमति मांगी थी। मामले के अनुसार जेडीए ने जून, 2011 में गणपति कंस्ट्रक्शन के मालिक शैलेन्द्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था। साल 2013 में इसको शिकायत एसीबी में की गई। जिसके कार्रवाई करते हुए एसीबी ने तत्कालीन एसीएस जीएस संघू, उपायुक्त निष्काम दिवाकर, ऑंकारमल सैनी और शैलेन्द्र गर्ग सहित अन्य की गिरफ्तारी की थी। वहीं मई, 2013 में एकल पट्टे को निरस्त भी कर दिया गया। वहीं पूर्ववर्ती

सरकार के समय एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की और अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। वहीं आईकोर्ट ने जनवरी, 2023 में इन अफसरों को राहत दी। इस आदेश के खिलाफ अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2024 को हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर हाईकोर्ट के सीजे को मामले की सुनवाई करने को कहा था।

प्रेम प्रसंग से नाराज युवती के परिजनों ने किया हंगामा

जयपुर । सदर थाना इलाके में स्थित हसनपुरा इलाके प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। जिसके बाद युवती के परिजनों ने पूरे मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया। युवती के परिजनों के आवेश को देखते हुए पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया।

गौरतलब है कि हसनपुरा में आस-पड़ोस में रहने वाले युवक-युवती के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। प्रेम-प्रसंग के चलते प्रेमी युगल घर छोड़कर भाग गया। इसी बात को लेकर युवती के परिजन नाराज हो गए। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे लडकी पक्ष के दर्जनभर युवक एक साथ इकट्ठा हो गए। लड़के के घर के बाहर लाठी-डंडे लेकर पहुंचकर जमकर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। युवती के परिजनों और उनके समर्थकों युवक के घर पर जमकर पथराव किया और घर के बाहर खड़ी तीन-चार कारों के शीशे व बाइक में जमकर तोड़फोड़ की। इस पथराव में तीन जनों को चोट आई। जिन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक उपद्रवी फरार हो गये थे।

अदालत ने कहा कि मामले में कोर्ट की ओर से दो बार आदेश जारी की लंबित परिवाद को तीस दिन में तय करने को कहा था, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने केवल तारीख देने के

सलमान खान के हस्ताक्षरों की नहीं होगी एफ.एस.एल. जांच

राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाई रोक

जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के गत 26 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत जिला आयोग ने मामले में पेश जावाब और वकालतनामा सहित अन्य

दस्तावेजों पर सलमान खान की ओर से किये हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता की जांच एफएसएल से कराने को कहा था। इसके साथ ही आयोग ने मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की कोटा सर्किट बेंच में भेज दिया है। आयोग ने यह आदेश सलमान खान की ओर से अपना जवाब

- राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा मामला**

और वकालतनामा पेश किया था। इसे शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षर नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर रिवीजनकर्ता ने परिवाद पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।

जिला आयोग ने परिवाद पर आपत्तियों की सुनवाई करने के बजाए सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से कराने के आदेश दे दिए। रिवीजन में कहा गया कि सलमान खान पान मसाला नहीं, इलाइची का विज्ञापन कर रहे हैं। मामले के परिवादी ने समान परिवाद विमल ब्रांड के खिलाफ भी किया था, उसमें इलायची का ही

विज्ञापन किया जा रहा था। उस परिवाद को परिवादी ने वापस ले लिया था। इसके अलावा रिवीजन कर्ता ने जिला आयोग में परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसे तय करने के बजाए जिला आयोग ने अनावश्यक रूप से सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच के आदेश दे दिए। रिवीजन में कहा गया कि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए रिवीजन कर्ता और सलमान खान के बीच एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत रिवीजन कर्ता जिला आयोग के आदेश से प्रभावित पश्ककार है। इसलिए जिला आयोग के आदेश को निरस्त किया जाए।

दूसरी अवमानना याचिका खारिज, एक लाख का लगाया हर्जाना

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में दायर दूसरी अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर दायर की गई है। ऐसे में इस पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया जाता है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश नेकीराम व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि पूर्व में अवमानना याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में दूसरी याचिका दायर करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामला झुंझुनूं के चिडावा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा है। जिसमें कई मामले में हाईकोर्ट की रोक चल रही है।

82065 सीएलजी सदस्य सक्रिय हैं। दिसंबर 2025 तक पुलिस ने इन सदस्यों के साथ 29 हजार 158 बैठकें आयोजित कर स्थानीय समस्याओं का समाधान किया है। ईद की नमाज हो या होली-दिवाली के मेले, ये सदस्य सौहार्द बनाए रखने में पुलिस के मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस मित्र योजना ने पुलिस के प्रति आमजन का नजरिया बदला है। प्रदेश में 40 हजार 867 पुलिस मित्र अपनी स्वेच्छा से यातायात संचालन, नाकाबंदी और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 24 हजार 443 ग्राम रक्षकों को सूचीबद्ध किया गया है। ये रक्षक ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त और सूचना संकलन के जरिए पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत कर रहे हैं।

है।महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा सखी के रूप में क्रांतिकारी पहल की है। वर्तमान में 21 हजार 953 महिलाएं सुरक्षा सखी के रूप में पुलिस और पीडित के बीच सेतु का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ रोकने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया गया है। यह संवेदनशील पहल न केवल अपराधों पर अंकुश लगा रही है। बल्कि समाज में निर्भीक नारी की संकल्पना को साकार कर रही है।

एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि महिलाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत दिसंबर 2025 तक रिकॉर्ड 14 लाख 83 हजार 30 महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

खंडेलवाल समाज एवं गौमाया ने रचा इतिहास

जयपुर। स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक जागरूकता की दिशा में खंडेलवाल समाज एवं गौमाया ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए जीरो ऑयल कुकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य युवा जागृति संघ एवं गौमाया के संयुक्त तत्वावधान में टॉक रोड, सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर आयोजित इस विशेष आयोजन में बिना तेल और घी के स्वादिष्ट व्यंजनों की अनूठी प्रस्तुति दी गई।

गौमाया फाउंडर डॉ. सीताराम गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। संगठन महामंत्री योगेंद्र लाभी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए, जिनमें किसी भी प्रकार के तेल या घी का उपयोग नहीं किया गया। इन व्यंजनों का स्वाद खंडेलवाल समाज के साथ अन्य समाजों के वरिष्ठ वंशुओं ने भी लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंडेलवाल समाज के बॉलीवुड एक्टर एवं सेलिब्रिटी रोहित खंडेलवाल, दर्शना खंडेलवाल एवं दिवंकल

- बिना तेल और घी के 50 से अधिक व्यंजन बनाकर जीरो ऑयल कुकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया**

पाटोदिया उपस्थित रहे। समाज के सहयोगियों में मुकेश ठाकुरिया, संतोष सिंगोदिया, रामेश्वर मामोडिया, सीए घनश्याम खंडेलवाल, विनोद बाजजरगान, विष्णु डगायकर, कैलाश चंद माणक बोहरा, सतीश खंडेलवाल, सीए सोनम खंडेलवाल प्रमुख रूप से शामिल रहे। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा , पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता एवं भाजपा नेता चंद्र मनोहर बटवाडा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रक्रिया में राजा मुकीम एवं डॉ. पी. एम. भारद्वाज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन को अप्रुव करते हुए अपने हाथों से सर्टिफिकेट प्रदान किए, जबकि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा ऑनलाइन की गई। कार्यक्रम में निवर्तमान उपमहापौर पुनीत कर्णावत, वरिष्ठ समाजसेवी नवीन भंडारी एवं राजीव खंडेलवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

Rajputana Automotive Sports Car Club, Jaipur

in association with

Department of Tourism, Government of Rajasthan

Presents

27th

VINTAGE & CLASSIC CAR EXHIBITION & DRIVE

24th– 25th January, 2026

Venue Sponsor :

Co-Sponsors :

24th January, 2026 : Exhibition of Cars : 10:00 A.M. to 6:00 P.M.

25th January, 2026 : Flag off Ceremony : 11:00 A.M.

25th January, 2026 : Prize Distribution : 3:30 P.M.

Venue : Jai Mahal Palace, Jacob Road, Civil Lines, Jaipur

Contact for further details : 9928207440 E-mail : jaipurrajputanacarclub@gmail.com

S JEE